

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मोतीसिंह गहलोत, कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अथूना बांसवाडा	अर्थशास्त्र	01.12.58	30.11.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

**नोट:-** वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 06/11/2018

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा.शि.।
4. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर